रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273313
CG-DL-E-10062026-273313

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]	नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2026/ज्येष्ठ 20, 1948
No. 414]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026/JYAISTHA 20, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

सा.का.नि. 461(अ).— विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैस सिलेंडर नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, एतदद्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर, उस तारीख से जिसको राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, निर्दिष्ट अवधि के भीतर उप सचिव (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 145, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से, निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों को गैस सिलेंडर (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 के प्ररूप छ में, 'शर्तें' शीर्षक के अंतर्गत, शर्त 21 के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अंतर्विष्ट की जाएगी, अर्थात्;

"22. सीएनजी मोबाइल रीफ्यूलिंग यूनिट (एमआरयू) के लिए अतिरिक्त शर्तें; इस शर्त के प्रयोजन हेतु, 'सीएनजी मोबाइल रीफ्यूलिंग यूनिट' या 'सीएनजी एमआरयू' का आशय एक मोबाइल असेंबली से है जिसमें सीएनजी स्टोरेज कैस्केड, डिस्पेंसिंग यूनिट, पाइपिंग, होज़, कपलिंग, वाल्व, प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस, सेफ्टी फिटिंग, इमरजेंसी शट-डाउन सिस्टम और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं जो किसी वाहन, ट्रेलर, स्किड या किसी अन्य मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर लगे होते हैं और इनका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अनुमोदित विशेष स्थल पर मुख्यतः अनुमोदित ऑनबोर्ड सीएनजी फ्यूल सिलेंडर या फ्यूल सिस्टम में सीएनजी भरने के लिए किया जाता है:-

i. सीएनजी एमआरयू उस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के स्वामित्व वाली होगी जिसे संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के लिए अधिकृत किया गया हो। इसमें 'मुख्य विस्फोटक नियंत्रक' द्वारा अनुमोदित असेंबली शामिल होगी, जिसमें स्टोरेज कैस्केड, भरने की प्रणाली, पाइपिंग, होज़, प्रेशर-रेगुलेटिंग डिवाइस, सेफ्टी फिटिंग, ईएसडी सिस्टम, लेआउट, प्रचालन प्रक्रिया और आपातकालीन स्थिति से निपटने की व्यवस्था होगी।

ii. इन सीएनजी एमआरयू में कम से कम दो आसानी से पहुंच वाले स्थलों पर मैन्युअली प्रचालित होने वाला 'फ़ेल-सेफ़' इमरजेंसी शट डाउन (ईएसडी) सिस्टम लगा होगा। यह सिस्टम कैस्केड और डिस्पेंसिंग लाइनों को अलग करने में सक्षम होगा और इसका विनिर्माता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर परीक्षण किया जाएगा। एक्टिवेट होने पर यह सीएनजी आपूर्ति के स्रोतों को अलग करने या बंद करने और भरने की प्रक्रिया को तुरंत रोकने में सक्षम होगा।

iii. सीएनजी केवल ऐसे वाहन, नाव या रेलवे इंजन के फ़्यूल टैंक में ही भरी जाएगी जिसे मुख्य नियंत्रक द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया हो और जिसके पास भरने की वैध अनुमति हो; साथ ही, जहां भी अपेक्षित हो, मुख्य नियंत्रक या संबंधित सक्षम कानूनी प्राधिकरण से वैध अनुमति/अनुमोदन भी लिया गया हो।

iv. सीएनजी एमआरयू केवल सीएनजी मदर स्टेशन के निर्दिष्ट क्षेत्र में या प्ररूप ङ और/या प्ररूप च में लाइसेंस प्राप्त परिसर में भरा या चार्ज किया जाएगा, जैसा लागू हो, और अनुमोदित लेआउट में दर्शाया गया हो।

v. सीएनजी एमआरयू को केवल एक निर्दिष्ट, समतल, खुले, पूर्णतः हवादार और निर्धारित वितरण स्थान पर पार्क किया जाएगा, जो सीएनजी को ईंधन टैंकों में भरने के दौरान सीएनजी एमआरयू की पार्किंग के लिए अनुमोदित स्थल योजना या स्थल-विशिष्ट अनुमति का हिस्सा होगा।

vi. सीएनजी वितरण प्रचालन के दौरान, सीएनजी एमआरयू के आस-पास निर्धारित सुरक्षा दूरी को नीचे निर्दिष्ट न्यूनतम दूरी के अनुसार हर समय बनाए रखा जाएगा:

गैस भंडारण कैस्केड इकाइयों की कुल क्षमता (लीटर में)	भवनों और उनकी सीमाओं से न्यूनतम (मीटर में) दूरी या जहां अपेक्षित हो सार्वजनिक सड़कों, आग लगने के स्रोतों, ऊपर से गुज़रने वाली बिजली की लाइनों, नालियों, बेसमेंट, खतरनाक चीज़ों के स्टोरेज या अन्य संवेदनशील जगहों पर उक्त दूरी से अधिक हो
4500 तक	4.0
4500 से 10000	5.0

10,000 लीटर से अधिक की कुल जल क्षमता वाले किसी भी सीएनजी एमआरयू का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ उसे मुख्य नियंत्रक द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए।

vii. वितरण क्षेत्र को अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से रोकने के लिए बाड़ (बैरिकेडिंग, चेन-लिंक बाड़, कोन या अन्य भौतिक बाधाओं सहित, अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में स्पष्ट चेतावनी संकेत हों) जैसे भौतिक साधनों द्वारा संरक्षित किया जाएगा। सीएनजी एमआरयू प्रचालन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कार्यकलापों के अलावा वितरण क्षेत्र में अन्य कार्यकलापों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वितरण क्षेत्र के भीतर धूम्रपान, आग जलाने, मोबाइल फोन का उपयोग, हॉट-वर्क, अनधिकृत विद्युत उपकरण और सार्वजनिक पहुंच प्रतिबंधित होगी।

viii. ईंधन पुनर्भरण का कार्य सीजीडी कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी के कम-से-कम एक अधिकृत एवं प्रशिक्षित उत्तरदायी व्यक्ति की उपस्थिति तथा उसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति के प्रशिक्षण अभिलेख सुरक्षित रखे जाएंगे तथा मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे। उक्त व्यक्ति को सीएनजी से संबंधित जोखिमों तथा नियमों के संगत प्रावधानों और प्रपत्र-छ में निहित अनुज्ञप्ति की शर्तों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। सीएनजी एमआरयू के भरण का संचालन कार्य सीजीडी कंपनी के ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किया जाएगा, जिसे सीएनजी के सुरक्षित प्रबंधन एवं संवितरण के संबंध में विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त हो।

ix. सीएनजी एमआरयू के कैस्केड के सिलेंडरों का डिजाइन IS-7285, ISO-9809, ISO-11119 अथवा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा स्वीकार्य किसी अन्य संहिता के अनुरूप होगा तथा उनका अधिकतम अनुमत कार्यकारी दाब 200 बार गेज से अधिक नहीं होगा, अथवा ऐसा दाब होगा जिसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया गया हो। उक्त सिलेंडरों का समय-समय पर इन नियमों के अनुसार परीक्षण, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा; वाल्व, पीआरडी तथा फिटिंग्स अनुमोदित प्रकार के होंगे।

x. सीएनजी एमआरयू से सीएनजी के स्थानांतरण हेतु प्रयुक्त होज एवं कपलिंग्स सीएनजी सेवा के लिए उपयुक्त होंगे, यांत्रिक तथा विद्युत रूप से सतत होंगे तथा उनका न्यूनतम ब्रस्ट प्रेशर, अधिकतम परिचालन दाब के चार गुना से कम नहीं होगा। इनका समय-समय पर दाब परीक्षण। रिसाव परीक्षण किया जाएगा। इनमें ब्रेकअवे कपलिंग, अतिरिक्त प्रवाह नियंत्रण अथवा त्वरित शट-ऑफ व्यवस्था तथा उपयुक्त बॉन्डिंग/अर्थिंग व्यवस्था लगी हुई होगी।

xi. सीएनजी का संवितरण केवल भारतीय खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले खनन क्षेत्रों में संचालित गैर-परिवहन वाहनों, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बंदरगाहों में संचालित वाहनों, भारतीय रेल के लोकोमोटिव के ईंधन टैंकों, समुद्री बोर्ड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन प्राधिकरण अथवा अन्य सक्षम समुद्री/अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जैसा लागू हो, द्वारा अनुमोदित अंतर्देशीय अथवा समुद्री जलमार्गों पर संचालित जहाजों या नौकाओं के ईंधन टैंकों, अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए इंजनों के ईंधन टैंकों में किया जाएगा। मुख्य नियंत्रक, असाधारण परिस्थितियों में, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए तथा ऐसे अतिरिक्त सुरक्षा उपायों, स्थल निरीक्षण, जोखिम आकलन एवं अन्य शर्तों

के अधीन, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, ऐसे भारी उपकरणों एवं मशीनरी अथवा अन्य भारी वाहनों के ईंधन टैंकों में ईंधन के पुनर्भरण की अनुमति पर विचार कर सकता है, जिन्हें ईंधन संवितरण स्टेशनों तक लाना संभव न हो।

xii. सीएनजी के पुनर्भरण हेतु प्रस्तावित वाहनों की सूची का सत्यापन महानिदेशक, खान सुरक्षा अथवा पत्तन संरक्षक अथवा किसी ऐसे अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित परिसर स्थित है तथा जहां उक्त वाहनों का संचालन किया जाना है। अनुमोदित सूची को स्थल पर रखा जाएगा तथा किसी नए वाहन/उपकरण में सीएनजी भरने से पूर्व उसे अद्यतित किया जाएगा।

xiii. सीएनजी एमआरयू के आदान-प्रदान के कार्य के दौरान ईंधन भरने की गतिविधि पूर्णतः निलंबित रखी जाएगी। सभी वाल्व बंद रखे जाएंगे, जहां आवश्यकता हो संवितरण प्रणाली को दाब-मुक्त किया जाएगा, ईएसडी को सक्रिय रखा जाएगा तथा सुरक्षा क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होगी।

xiv. सीएनजी वितरण क्षेत्र का पता लगाया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा ताकि फायर टेंडर, एम्बुलेंस और इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों तक पहुंच सहित इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों की निर्बाध पहुंच और संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

xv. वाहन के सीएनजी एमआरयू, होज, कपलिंग या ईंधन टैंक से सीएनजी के रिसाव को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरती जाएगी। कोई भी वितरण तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि होज, कपलिंग, वाल्व, डिस्पेंसर और रिसीविंग फ्यूल सिस्टम की वास्तविक रुप से जांच नहीं की जाती है और रिसाव-मुक्त नहीं पाया जाता है।

xvi. आपात स्थिति के मामले में कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक स्थल हेतु स्थल-विशिष्ट आपातकालीन योजना तैयार की जाएगी, और ऐसी आपातकालीन योजना की प्रति जिला मजिस्ट्रेट, स्थानीय अग्निशमन सेवा, पुलिस प्राधिकरण और क्षेत्राधिकार नियंत्रक/मुख्य नियंत्रक, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, को प्रस्तुत किया जाएगा; स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा, ऑपरेटरों को सूचित किया जाएगा, और समय-समय पर मॉक ड्रिल के माध्यम से जांच की जाएगी।

xvii. सीएनजी एमआरयू का उपयोग सार्वजनिक सड़कों, आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक पार्किंग क्षेत्रों, बेसमेंट, संलग्न परिसर या किसी भी स्थान पर सार्वजनिक खुदरा वितरण के लिए नहीं किया जाएगा, जिसके लिए विशेष रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

xviii. लाइसेंसधारी या सीजीडी इकाई, सीएनजी एमआरयू भरने, वितरण, प्रेशर रीडिंग, वाहन/उपकरण विवरण, ऑपरेटर विवरण, रिसाव जांच, ईएसडी जांच, होज परीक्षण, रखरखाव, कमी, मरम्मत और दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड बनाए रखेगी। इस तरह के रिकॉर्ड मांगे जाने पर निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

xix. सीएनजी एमआरयू से जुड़ी किसी भी दुर्घटना, आग, विस्फोट, रिसाव या अन्य अप्रिय घटना की सूचना तुरंत मुख्य नियंत्रक, नियंत्रक, जिला मजिस्ट्रेट, निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और स्थानीय अग्निशमन सेवा को संचार के सबसे तेज माध्यम से दी जाएगी।

xx. आवाजाही के दौरान, सीएनजी एमआरयू इन नियमों और उस समय प्रवृत किसी भी अन्य लागू कानून के तहत लागू परिवहन प्रावधानों का पालन करेगा।

[फा. सं. पी-13033/32/2021-विस्फोटक-भाग(3)]

डॉ. काजल, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में, अधिसूचना संख्या 1081 (अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात सा.का.नि. 189(अ) तारीख 27 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 231(अ) तारीख 15 मार्च, 2018, सा.का.नि. 44(अ) तारीख 23 जनवरी, 2019, सा.का.नि. 44(अ) तारीख 20 जनवरी, 2022, सा.का.नि. 225(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2025, सा.का.नि. 386(अ) तारीख 16 जून, 2025, सा.का.नि. 501(अ) तारीख 28 जुलाई, 2025, सा.का.नि. 839(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2025, सा.का.नि. 315(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2026, सा.का.नि. 447(अ) तारीख 5 जून, 2026 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

G.S.R. 461(E).— The draft of the following rules to amend the Gas Cylinders Rules, 2016 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after Thirty (30) days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Deputy Secretary (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 145, Vanijya Bhavan, New Delhi – 110001 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified, will be considered by the Central Government.

Draft rules

1. **Short title and commencement.-**

   (1) These rules may be called the Gas Cylinders (Third Amendment) Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Gas Cylinders Rules, 2016, in Form G, under the heading 'CONDITIONS', after condition 21, the following condition shall be inserted, namely;

   "22. Additional conditions for CNG Mobile Refuelling Units (MRU); For the purposes of this condition, 'CNG Mobile Refuelling Unit' or 'CNG MRU' means a mobile assembly comprising CNG storage cascade, dispensing unit, piping, hoses, couplings, valves, pressure regulating devices, safety fittings, emergency shut-down system and other associated equipment mounted on a vehicle, trailer, skid or any other mobile platform, intended for dispensing CNG into approved onboard CNG fuel cylinders or fuel systems at a site specifically approved for such purpose:-

i. The CNG MRU shall be owned by a City Gas Distribution company authorized for the concerned geographical area and shall comprise an assembly approved by the Chief Controller of Explosives, including its storage cascade, dispensing system, piping, hoses, pressure-regulating devices, safety fittings, ESD system, layout, operating procedure and emergency response arrangement.

ii. These CNG MRUs shall be equipped with a fail-safe, manually operable Emergency Shut Down (ESD) system from at least two accessible locations, capable of isolating the cascade and dispensing lines, and tested periodically in accordance with the manufacturer's procedure. capable of isolating or shutting off the CNG supply sources and immediately terminating dispensing operations when activated.

iii. CNG shall be dispensed only in the fuel tank of a vehicle, boat or railway engine duly approved by the Chief Controller and shall have valid filling permission and valid permission/approval, wherever required, from the Chief Controller or the competent statutory authority concerned.

iv. The CNG MRU shall be filled or charged only in the designated area of a CNG mother station or filling premises licensed in Form E and/or Form F, as applicable, and shown in the approved layout.

v. The CNG MRU shall be parked only at a designated, level, open, well-ventilated and earmarked dispensing location, forming part of the approved site plan or site-specific permission for the parking of CNG MRU during the transfer of CNG into fuel tanks.

vi. During CNG dispensing operations, the prescribed safety distance around the CNG MRU shall be maintained at all times, in accordance with the minimum distances specified below:

Total capacity of gas storage cascade units (in liters)	Minimum distance from buildings and boundaries (in meters) or such higher distance as may be required from public roads, ignition sources, overhead electrical lines, drains, basements, hazardous storage or other vulnerable locations
Up to 4500	4.0
4500 to 10000	5.0

No CNG MRU having a total water capacity exceeding 10,000 liters shall be used unless specifically permitted by the Chief Controller with additional safeguards.

vii. The dispensing area shall be protected by physical means such as a fence (barricading, chain-link fencing, cones or other physical barriers, with conspicuous warning signs in English, Hindi and the local language) to prevent access by unauthorized persons. Activities other than those directly related to the CNG MRU operation shall not be permitted in the dispensing area. Smoking, open flame, mobile phone use, hot work, unauthorized electrical equipment and public access shall be prohibited within the dispensing area.

viii. The refueling operation shall be carried out in the presence of and under the direct supervision of at least one authorized and trained responsible person of the CGD entity/licensee, whose training records shall be maintained and produced on demand, who is conversant with the hazards associated with CNG and the relevant provisions of the Rules and conditions of licence in Form-G. The filling operation of the CNG MRU shall be conducted under the direct supervision of a responsible person of the CGD company who has been duly trained in the safe handling and dispensing of CNG.

ix. The cylinders of the cascade of the CNG MRU shall be designed as per IS-7285, ISO-9809, ISO-11119 or any other code acceptable to the Chief Controller of Explosives and shall have a maximum allowable working pressure of not exceeding 200 Bar gauge, or such pressure as may be specifically approved by the Chief Controller and shall be periodically tested, inspected and certified in accordance with these rules; valves, PRDs and fittings shall be of approved type.

x. The hose and couplings for the transfer of CNG from the CNG MRU shall be suitable for CNG service, shall be mechanically and electrically continuous, and shall have a minimum burst pressure of not less than four times the maximum operating pressure and shall be periodically pressure-tested/leak-tested. These should be fitted with a breakaway coupling, an excess-flow or quick shut-off arrangement, and a suitable bonding/earthing arrangement

xi. CNG shall be dispensed only in the non-transport vehicles operating within the area of mines covered under the Indian Mines Act, 1952, ports notified by the Ministry of Ports, Shipping, and waterways, fuel tanks of locomotives of the Indian Railway, fuel tanks of ships or boats operated on inland or seaborne waterways approved by the Maritime Board, Inland Waterways Authority of India, port authority, or any other competent maritime/inland waterways authority, as applicable, or fuel tanks of engines tested by Central Government-authorized Testing Laboratories. The Chief Controller, in exceptional circumstances for reasons to be recorded in writing and subject to such additional safeguards, site inspection, risk assessment and conditions as he may specify, may consider the refuelling of fuel tanks of heavy equipment and machinery or other heavy vehicles that cannot be brought to the fuel dispensing stations.

xii. The list of vehicles proposed to be refueled with CNG shall be vetted by the Directorate General of Mines Safety or the Conservator of Ports or any other Competent Authority under whose jurisdiction the premises are situated and the vehicles are to be operated. The approved list shall be maintained at the site and updated before any new vehicle/equipment is refuelled.

xiii. The fuelling activity shall be fully suspended during the CNG MRU exchange operation. All valves shall be closed, the dispensing system depressurized wherever required, the ESD kept activated, and no unauthorized person shall remain in the safety zone.

xiv. The CNG dispensing area shall be located and maintained so as to ensure unhindered access and operation of emergency response vehicles, including access for fire tenders, ambulances and emergency response vehicles.

xv. Every care shall be taken to avoid leakage of CNG from the CNG MRU, hose, coupling or the fuel tank of the vehicle. No dispensing shall commence unless hoses, couplings, valves, dispenser and receiving fuel system are visually checked and found leak-free.

xvi. Site-specific emergency plan for each site shall be prepared for implementation in case of emergency, and the copy of such emergency plan shall be submitted to the District Magistrate, local fire service, police authority and jurisdictional Controller/Chief Controller, as may be specified; displayed at the site, communicated to operators, and tested through periodic mock drills."

xvii. CNG MRU shall not be used for public retail dispensing on public roads, residential areas, commercial parking areas, basements, enclosed premises or any place not specifically approved.

xviii. The licensee or CGD entity shall maintain records of CNG MRU filling, dispensing, pressure readings, vehicle/equipment details, operator details, leak checks, ESD checks, hose testing, maintenance, defects, repairs and incidents. Such records shall be produced before the inspecting authority on demand.

xix. Any accident, fire, explosion, leakage or other untoward incident involving the CNG MRU shall be immediately reported to the Chief Controller, Controller, District Magistrate, Officer-in-Charge of the nearest police station and local fire service by the quickest mode of communication.

xx. During movement, the CNG MRU shall comply with the applicable transport provisions under these rules and any other applicable law for the time being in force.

[F. No. P-13033/32/2021-EXPLOSIVE-Part(3)]

Dr. KAJAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number 1081(E) dated 22nd November, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 189(E) dated 27th February, 2018, G.S.R. 231(E) dated 15th March 2018, G.S.R. 44(E) dated 23rd January, 2019, G.S.R. 44(E) dated 20th January 2022, G.S.R. 225(E) dated 11th April, 2025, G.S.R. 386(E), dated 16th June, 2025, G.S.R. 501(E) dated 28th July 2025, G.S.R. 839(E) dated 12th November, 2025, G.S.R. 315(E), dated 27th April, 2026 and G.S.R. 447(E), dated 5th June, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA